निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 133/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

बाबूलाल पुत्र बालू जाति जाट निवासी ग्राम भोपावास तहसील चौमू जिला जयपुर हाल निवासी गुडलिया तहसील चौमू जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. डॉ अशोक कुमार चौधरी पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर।
2. रामस्वरूप उर्फ रामेश्वर पुत्र श्री भूरा
3. कजोड पुत्र मंगला
4. औंकार पुत्र मंगला
5. प्रहलाद पुत्र मंगला
6. रामू पुत्र धन्ना
7. जगदीश पुत्र धन्ना
8. सेडू पुत्र धन्ना
9. नन्छू पुत्र धन्ना
10. अर्जुन पुत्र धन्ना
11. सूरजा पुत्र रूडा
12. प्रभात पुत्र रूडा
13. भगवान सहाय पुत्र हीरा
14. मोहन पुत्र हीरा
15. नानू पुत्र हीरा
16. पप्पू पुत्र हीरा
17. रमकी पुत्र हीरा
18. श्रवणी पुत्री हीरा
19. सूजी देवी पत्नी हीरा
20. रूडी पुत्री हनुमान
21. झमरी पुत्री हनुमान
22. मन्नी पुत्री हनुमान
23. संतोष पुत्री हनुमान
24. बिदामी पुत्री भूरा
25. नन्छी पुत्री भूरा
26. पप्पू पुत्र बालू
27. घीसाराम पुत्र बालू
28. रामप्यारी पुत्री बालू
29. नाना देवी पत्नी कानाराम
30. बिनोद पुत्र कानाराम
31. रेखा पुत्री कानाराम

लक्टर
पुर

32. अनिता पुत्री कानाराम
33. कजोड पुत्र रामू
34. बालू पुत्र माना
35. भोमा पुत्र सुखा
36. कन्हैयालाल पुत्र गुल्लाराम
37. मोहन लाल पुत्र गुल्लाराम
38. शिवदयाल पुत्र गुल्लाराम

समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम भोपावास, तहसील चौमू जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 28/2021 ब उनवानी रामस्वरूप उर्फ रामेश्वर बनाम कजोड व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री मुकेश शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री रामकिशोर डागर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 15 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 21.10.2021

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 28/2021 ब उनवानी रामस्वरूप उर्फ रामेश्वर बनाम कजोड व अन्य विचाराधीन है। जिसमें प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 15 की ओर से अधिवक्ता श्री रामकिशोर डागर ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि दिनांक 20.09.2021 को प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित हुआ तो पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी को उक्त अपील में बहस करने को कहा जिस पर प्रार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता को सूचना दी। प्रार्थी को अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि दिनांक 20.09.2021 को बार एशोसियेशन द्वारा कार्य स्थगित किया गया है। जिसका लेटर सभी न्यायालयों में भिजवा दिया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त सूचना पीठासीन अधिकारी को दी गई, तो पीठासीन अधिकारी द्वारा कहा गया कि उक्त पत्रावली उनके निजी मिलने वाले की है । आप आज

बहस करते हो तो ठीक है अन्यथा उक्त पत्रावली को आदेश में नियत कर आपको सुने बिने निर्णय पारित करूंगा। इससे प्रार्थी को यह अन्देशा हो गया कि अप्रार्थी संख्या 2 पीठासीन अधिकारी से मिला हुआ है तथा पहले से ही इसको प्रार्थी के विरूद्व निस्तारित करने का मानस बना रखा है जिससे प्रार्थी को न्याय कतई कोई उम्मीद नही है। उक्त पत्रावली में हर दूसरे रोज तारीख पेशी नियत की जा रही है । अप्रार्थी संख्या 2 पीठासीन अधिकारी से मिलीभगत कर उक्त प्रकरण में निर्णय अपने पक्ष में करवाना चाहता है। गत चार पांच दिनों से पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बैठा रहता है । आज तारीख पेशी पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को धमकी दी कि मेरी पीठासीन अधिकारी से बात हो चुकी है। उक्त प्रकरण का निर्णय जल्दी मेरे पक्ष में करवा लूंगा। अप्रार्थीगण की उक्त हरकतों को देख कर प्रार्थी आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे हुआ। जब अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1 से मिल गये है तो प्रार्थी को न्याय प्राप्त होना असम्भव है। इस प्रकार प्रार्थी को उक्त न्यायालय से न्याय प्राप्ति की कोई उम्मीद नही रही है । ऐसी स्थिति में उक्त मामले को अन्य न्यायालय में निस्तारण हेतु ट्रान्सफर किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 15 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थी अतिरिक्त कलक्टर चतुर्थ जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण का येनकेन प्रकारेण निस्तारण में विलम्ब करना चाहता है । इसी मन्शा से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो खारिज किये जाने के योग्य है, फिर भी यदि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो तारीख नियत करके प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अतिरिक्त कलक्टर चतुर्थ जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, यद्वपि, अतिरिक्त कलक्टर चतुर्थ जयपुर ने अपनी टिप्पी में आरोपों का खण्डन किया गया है। परन्तु चूंकि प्रार्थी ने पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थी अधिवक्ता भी प्रकरण का अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने पर सहमत है। जयपुर मुख्यालय पर अतिरिक्त कलक्टर द्वितीय जयपुर का न्यायालय भी स्थापित है जिसमें इस प्रकरण को अन्तरित किया जा सकता है। इससे किसी पक्षकार को असुविधा भी नही होगी। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 28/2021 ब उनवानी रामस्वरूप उर्फ रामेश्वर बनाम कजोड व अन्य को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर में मुन्तकिल किया जाता है।

कलक्टर
जयपुर

9. पक्षकारान न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 11.11.2021 को उपस्थित हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय जयपुर प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर निस्तारण करें।

10. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वितीय/चतुर्थ जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक **21.10.2021** को सरे इजलास सुनाया गया ।

21/10/2021

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर